न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 138/2022
GCMS No-2022/293

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थी :–**
श्री आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नारायणलाल मैसर्स मातेश्वरी जनरल स्टोर मैन बाजार सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011
उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी स्वयं एवं श्री मगराज सोनी अधिवक्ता उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05-12-2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 14.06.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नारायण लाल मैसर्स मातेश्वरी जनरल स्टोर मैन बाजार सुमेरपुर पर गया जहां पर अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार उपस्थित मिला जो आमजन को टोस्ट की बिक्री करता पाया गया जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण करने पर टोस्ट के 50 से 60 पैकेट आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर रखे टोस्ट के पैकेट मे से 4 पैकेट टोस्ट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 250/–रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा टोस्ट के चारो नमूना पैकेट को विक्रेता एंव गवाहान के सामने सील चपड़ी करके प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–1441 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/1209/एक्ट/2022/1209 दिनांक 16.06.2022 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुना क्रमांक आर–1441 अमानक स्तर (Sub Standerd) पाया गया। विक्रेता जितेन्द्र कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी स्वयं एवं अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी की दुकान से दिनांक 14.6.2022 को वक्त निरीक्षण टोस्ट का नमूना वास्ते जांच क्रय कर जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

जाना बताया है जबकि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/1209/एक्ट/2022/1209 दिनांक 16.06.2022 अनुसार नमूना क्रमांक आर–1441 लाल मिर्च पाउडर का बताया है जिसे अमानक स्तर का माना गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण में नमूना टोस्ट का लेना बताया है तथा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर की नमूना जांच रिपोर्ट में लाल मिर्च पाउडर का बताया है जो पूर्णतः भिन्न व विरोधाभासी है। अतः श्रीमान से निवेदन है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज फरमाकर मुझे राहत प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नारायणलाल मैसर्स मातेश्वरी जनरल स्टोर मैन बाजार सुमेरपुर से नमुना क्रमांक आर–1441 का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2022 को नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एलएस/1209/एक्ट/2022/1209 दिनांक 16.06.2022 के अनुसार नमूना कोड संख्या आर–1441 को Sub Standard का माना है। चूंकि अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से दिनांक 14.6.2022 को वक्त निरीक्षण टोस्ट का नमूना वास्ते जांच क्रय कर जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया जाना बताया है जबकि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/1209/एक्ट/2022/1209 दिनांक 16.06.2022 अनुसार नमूना क्रमांक आर–1441 लाल मिर्च पाउडर का बताया है जिसे अमानक स्तर का माना गया है, उपरोक्त आधार पर अप्रार्थी पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित करना न्यायोचित प्रतित नही होता है।।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 05-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली